प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.11.2025

साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 50000/- की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 01.11.2025 को साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री सुरेन्द्र यादव निवासी काशीराम आवास योजना थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 50000/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 26.10.2025 को श्री सुरेन्द्र यादव नि0 काशीराम आवास योजना थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 50000/- रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 01.11.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा जुआ अधिनियम के अभियोग में 07 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 मोबाइल , 09 गोटियां एक प्लास्टिक का डिब्बा दो पेटीएम क्यूआर कोड स्कैनर व 3500/- रुपये बरामद ।

आज दिनांक 01.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध जुआ खेल रहे अभियुक्तगण 1.शिवलाल सैनी पुत्र महीलील सैनी निवासी गली नं0 01 राम विहार कालोनी अण्डा चौक राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 67 वर्ष। 2. सचिन कुमार पुत्र स्व रामकिशन निवासी गली नं0 2 रतिराम कालोनी थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष । 3. रामवीर प्रजापति पुत्र मोहन लाल निवासी

अग्रवाल मोबाईल की दुकान के पीछे वाली गली प्रेम नगर राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष। 4. सचिन प्रजापति पुत्र रतिपाल निवासी सनराईज प्रोपर्टी डीलर के आफिस के पास राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष। 5. राहुल राजपूत पुत्र प्रेम सिहं निवासी गली नं0 6 सी ब्लाक राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष। 6. पवन कुमार जायसवाल पुत्र सुनील चौधरी निवासी गैस प्लान्ट के सामने वाली गली नहर पर निर्मला कुन्ज साई मन्दिर बन्थला थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष। 7. सन्नी खत्री पुत्र इन्दर खुल्लर निवासी सैनी मैरिज होम के पीछे वाली गली राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष। के विरूद्ध जुआ अधिनियम की धारा-3/4 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र देवी सिह निवासी निकट शनि मन्दिर निकिता स्कूल के पास कुटी थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद मौके का फायदा उठाकर भाग गया व अन्य अभियुक्तगण को मौके से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग आपस में जुआ खेल रहे थे और पेटीएम से एक दूसरे से पैसा लेते हैं। जुआ खेलकर हम लोग पैसा कमाते हैं और अपने शौक पूरा करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1.शिवलाल सैनी पुत्र महीलील सैनी निवासी गली नं0 01 राम विहार कालोनी अण्डा चौक राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 67 वर्ष।

2. सचिन कुमार पुत्र स्व रामकिशन निवासी गली नं0 2 रतिराम कालोनी थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष।

3. रामवीर प्रजापति पुत्र मोहन लाल निवासी अग्रवाल मोबाईल की दुकान के पीछे वाली गली प्रेम नगर राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष।

4. सचिन प्रजापति पुत्र रतिपाल निवासी सनराईज प्रोपर्टी डीलर के आफिस के पास राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष।

5. राहुल राजपूत पुत्र प्रेम सिहं निवासी गली नं0 6 सी ब्लाक राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष।

6. पवन कुमार जायसवाल पुत्र सुनील चौधरी निवासी गैस प्लान्ट के सामने वाली गली नहर पर निर्मला कुन्ज साई मन्दिर बन्थला थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।

7. सन्नी खत्री पुत्र इन्दर खुल्लर निवासी सैनी मैरिज होम के पीछे वाली गली राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का विवरण –

सुशील कुमार पुत्र देवी सिह निवासी निकट शनि मन्दिर निकिता स्कूल के पास कुटी थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 03 मोबाइल , 09 गोटियां एक प्लास्टिक का डिब्बा दो पेटीएम क्यूआर कोड स्कैनर व 3500/- रुपये बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता सहित कुल 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

दिनांक 01.11.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्तगण 1.सरताज पुत्र नानू उर्फ नानूबाज निवासी सावली रोड बिलाल मस्जिद के पास थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष 2. महबूब पुत्र मौ0 भानू उर्फ बानू निवासी असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष 3. मौ0 गुलजार उर्फ छोटू पुत्र स्व0 इमामुद्दीन निवासी मौ0 गौतमपुरी फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 4. अभियुक्ता निशा किन्नर उम्र 40 वर्ष C/0 निक्की गुरू निवासी गली न0 5 विश्वकर्मा बस्ती सीकरी फाटक के पास थाना मोदीनगर गाजियाबाद को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगणों ने पूछताछ करने पर बताया कि हमनें अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा है । हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें हम और हमारे साथी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.सरताज पुत्र नानू उर्फ नानूबाज निवासी सावली रोड बिलाल मस्जिद के पास थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष

2. महबूब पुत्र मौ0 भानू उर्फ बानू निवासी असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीलामोड कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष

3. मौ0 गुलजार उर्फ छोटू पुत्र स्व0 इमामुद्दीन निवासी मौ0 गौतमपुरी फरीदनगर थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

4. निशा किन्नर उम्र 40 वर्ष C/0 निक्की गुरू निवासी गली न0 5 विश्वकर्मा बस्ती सीकरी फाटक के पास थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग व गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 01.10.2025 को समय करीब 16.30 बजे वादी सचिन पुत्र प्रेमचन्द निवासी मेन 25 फुटा रोड थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के भाई विशाल व उसके दोस्त दीपांशु के साथ अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र संजित 2. तुषार पुत्र संजित 3. शाहिल पुत्र मुनिया 4. जीत उर्फ संजीत पुत्र मुंशी 5. भीमा पुत्र विनोद निवासीगण बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद द्वारा लाठी, डण्डों, ईट पत्थर से मार पीट करना जिससे वादी के भाई विशाल की दौराने इलाज मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई। थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना व साक्ष्य संकलन से अन्य 04 अभियुक्त गणः 1. वरूण उर्फ कालू पुत्र स्व0 सुशील कुमार उर्फ काले निवासीः रतिराम कालोनी फिटनेस जिम के सामने, बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद, 2. कालू उर्फ देव पुत्र शिव कुमार उर्फ मुनिया निवासीः पाण्डे चक्की से आगे, पाल चौकी के पास, बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद, 3. गौरव उर्फ गौरी पुत्र अशोक निवासीः शिव मंदिर गौसपुरिया वाली गली, बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद, 4. प्रिंस उर्फ पुच्ची पुत्र स्व0 संजय निवासीः रतिराम कालोनी बल्लू भवन वाली गली, बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद के नाम प्रकाश में आये थे व मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी थी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 07.10.2025 को 03 अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र संजित

उर्फ जीत निवासी पाण्डे की चक्की पाल चौक के पास बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद 2. वरूण उर्फ कालू पुत्र स्व0 सुशील कुमार उर्फ काले निवासीः रतिराम कालोनी फिटनेस जिम के सामने, बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद 3. प्रिंस उर्फ पुच्ची पुत्र स्व0 संजय निवासीः रतिराम कालोनी बल्लू भवन वाली गली, बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद व दिनांक 15.10.2025 को 02 अभियुक्तगण 1. तुषार पुत्र संजित उर्फ जीत निवासी पाण्डे की चक्की पाल चौक के पास बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद 2.गौरव उर्फ गौरी पुत्र अशोक निवासीः शिव मंदिर गौसपुरिया वाली गली, बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद व दिनांक 18.10.2025 को 01 अभियुक्त देव उर्फ़ कालू पुत्र शिव कुमार उम्र 20 वर्ष निवासी पांडे की चक्की से आगे पाल चौक से पहले घेर में बेहटा हाजीपुर लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 01.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त हत्या की घटना के अभियोग में वांछित अभियुक्त जीत उर्फ संजीत पुत्र स्व0 मुंशीराम निवासी पाण्डेय की चक्की के पास, बाल्मीकि मौहल्ला थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने बताया कि मेरे पुत्र अभियुक्त अमन व मृतक विशाल के बीच काफी समय से गुटबाजी चल रही थी उन दोनों के बीच करीब 04 महीने पहले भी झगडा हुआ था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया था व पथराव किया था जिसमें दोनो जेल गये थे। दिनांक 01.10.2025 को भी उनके बीच कहासुनी हो गयी थी जिसमें हम सबने मिलकर ईट पत्थरों से विशाल के साथ मारपीट की थी और दीपांशु के भी बीच बचाव में सिर में चोट लग गयी फिर हम विशाल को मरणासन्न अवस्था में छोडकर वहाँ से भाग गये थे। मुझे बाद में पता चला कि विशाल की जीटीबी में मृत्यु हो गयी है। जिस कारण मैं पुलिस से बचने के लिए छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जीत उर्फ संजीत पुत्र स्व0 मुंशीराम नि0 पाण्डेय की चक्की के पास , बाल्मीकि मौहल्ला थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.10.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त अंकुर व अजय द्वारा वादिया की 13 वर्षीय पुत्री को दिनांक 23/10/2025 को बहला फुसला कर ले जाना तथा

वादिया के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 137(2)/352/351(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहर्ता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.10.2025 को अपहर्ता को बरामद किया गया। दौराने विवेचना मेडीकल रिपोर्ट व पीडिता के बयानों के आधार पर पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1)/87 बीएनएस व 5(N)/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 01.11.2025 को थाना अंकुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अजय पुत्र ब्रिजपाल निवासी गौरीपुर थाना कोतवाली जिला बागपत उम्र 21 वर्ष को थाना अंकुर विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब पीडिता और मै आपस में रिश्तेदार है तथा हमारी आपस में बातचीत थी। दिनांक 23.10.25 को जब पीडिता अपने घर से अकेले गाजियाबाद जा रही थी तो मैंने अंकुर के साथ मिलकर पीडिता को अपने साथ लेकर पानीपत लेकर चला गया था। फिर वहां पर मैने किराये पर एक कमरा लिया और पीडिता के साथ रहा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजय पुत्र ब्रिजपाल निवासी गौरीपुर थाना कोतवाली जिला बागपत, उम्र 21 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता –

अंकुर निवासी अज्ञात

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा कैंची से हमला कर हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से एक आलाकत्ल कैंची बरामद।

दिनांक 01.11.2025 को आवेदक श्री जितेन्द्र सिह S/0 मदन लाल वाल्मिकी निवासी म0न0 480 शिवपुरी गली न0 11 सै-9 विजयनगर गाजियाबाद की तहरीर प्राप्त हुई। जिसमें दिनांक 31.10.2025 को आवेदक का भाई रविन्द्र सिंह वाल्मिकी पुत्र मदनलाल निवासी म0नं0 480 गली नं0 11 शिवपुरी न्यू विजयनगर गाजियाबाद अपने दोस्त सन्नी रोबिन पुत्र राकेश रोबिन निवासी ए 394 सै-9 न्यू विजयनगर गाजियाबाद के साथ ठेके के पास मोहसीन की दुकान के सामने बैठा था जहां पर विपक्षी पवन सिह ठाकुर द्वारा आवेदक के भाई को जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये अपशब्द कहे गये। जिससे दोनों पक्षों में कहासुनी होने पर विपक्षी पवन द्वारा आवेदक के भाई पर कैंची से हमला कर देने एवं बचाव में आये

दोस्त को घायल कर देना। जिसमें वादी का भाई गम्भीर रूप से घायल होने एवं ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में तत्काल थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः- पंजीकृत अभियोग में घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर के पर्यावेक्षण में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमों का गठन किया ।जिसमें टीमों द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये मुखबिर की सूचना एवं सर्विलांस सैल की मदद से आज दिनांक 01.10.2025 को घटना कारित करने वाले अभियुक्त पवन सिह ठाकुर S/0 महेन्द्र पाल सिह निवासी रोजवैली स्कूल के पास कृष्णानगर बागू थाना क्रोसिंग रिपाब्लिक गाजियाबाद को डूण्डाहेडा प्लाईओवर अण्डर पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल कैंची बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त पवन ने बताया कि मैं कल दिनांक 31.10.2025 को मैं शिवपुरी ठेके पर शराब पी रहा था। वहां पर मेरी कहासुनी रविन्द्र व सन्नी से हो गयी थी। जिन्हे मैं पहले से जानता था। मैने गुस्से में आकर मोहसीन की दुकान पर रखी कैंची उठाकर रविन्द्र को मार दी थी और वहां से भाग गया था। जब मुझे यह जानकारी हुई कि रवीन्द्र की मृत्यु हो गयी है तो मैं अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता अभियुक्तः -

पवन सिह ठाकुर पुत्र महेन्द्र पाल सिह निवासी रोजवैली स्कूल के पास कृष्णानगर बागू थाना क्रोसिंग रिपाब्लिक गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक कैंची आलाकत्ल

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुसि टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच द्वारा मोबाइल टावरों के रेडियो रिसीवर यूनिट (RRU) व बेस बैन्ड यूनिट (BBU) उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 80 लाख रूपये कीमत के 06 RRU व 15 BBU तथा चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण व महिन्द्रा थार राक्स (बिना नंबर) बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में मोबाइल कम्पनियों के टावरों पर चोरी की रोकथाम में अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के नेतृत्व में स्वाट टीम, अपराध शाखा द्वारा दिनाँक 31/10/2025 को दिल्ली एन0सी0आर क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में जियो व एअरटेल के मोबाइल टावरों से आर0आर0 यूनिट व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी करने वाले शातिर अपराधियों के अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 06 अभियुक्तों को थाना सिहानीगेट क्षेत्र के डीपीएस कट दिल्ली मेरठ रोड रात्रि समय 01.45 बजे पर गिरफ्तार करने में मय टावर चोरी उपकरण व महिन्द्रा थार राक्स सहित महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मोबाइल टावर के रेडियो रिसीवर यूनिट, मोबाइल टावर बी0बी0यू0 तथा चोरी करने में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण व घटना करने में प्रयुक्त महिन्द्रा थार रॉक्स गाडी बरामद कर थाना सिहांनी गेट पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर पकडे गये अभियुक्तगणो ने बताया कि हम व हमारे अन्य साथी अनस, अयान, सोनू, कय्यूम हम सभी लोग मोबाइल टावरो के उपकरण रेडियो रिसीवर यूनिट, बेस बैंड यूनिट व मोबाइल टावर का अन्य सामान चोरी करने व खरीद फरोख्त करने का एक संगठित गिरोह हैं। महिन्द्रा थार रॉक्स गाडी से बरामद वायर कटर, प्लास, शिकंजा व पाना के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि साहब हम लोग मोबाइल टावरो से आर0आर0यूनिट, व अन्य सामान चोरी करने में उपरोक्त सामानो का प्रयोग करते है, मोबाइल टावरो के उपकरणो की चोरी के माल को बेचने में जो भी मुनाफा होता हैं हम सब लोग आपस में बाट लेते हैं। हम लोग पिछले कई वर्षो से यह मोबाइल के टावरो का सामान चोरी करने का काम कर रहे हैं। हम लोगो से मिली कार थार रॉक्स का प्रयोग हम लोग चोरी करने व चोरी का माल खरीदने व बेचने हेतु परिवहन में करते हैं यह कार हमारे गिरोह के हमारे साथी अनस ने अभी कुछ दिन पहले ही खरीदी है इससे पहले भी चोरी करने व माल को लाने ले जाने के लिये गाडिया अनस ही उपलब्ध कराता था तथा इन चोरियों के अलावा भी हमारे गिरोह ने गाजियाबाद, दिल्ली एन.सी.आर. क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व अन्य अलग- अलग स्थानो पर भी मोबाइल टावरो से उपकरणो की चोरिया की हैं जिनकी जगह व समय अभी हमारे याद नही हैं। हम सब आज इस चोरी के सामान को इकट्ठा करके बेचने के लिये दिल्ली के मुस्तफाबाद मे ले जा रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया। पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बी.बी.यू. कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बी.बी.यू. व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर लगाम लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- अफसर पुत्र इरफान निवासी आयशा मस्जिद के पास मलिक नगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 24

2- राहुल पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम सुहाना थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 28

3- आमिर पुत्र महबूब निवासी ग्राम कसेरवा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब वर्ष 27

4- फैसल पुत्र जुरार अहमद निवासी कस्बा व थाना रंघौली जनपद अयोध्या उम्र करीब वर्ष 23

5- दीपान्शु पुत्र राकेश निवासी ग्राम सुहाना थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 24

6- नाजिम पुत्र यामीन निवासी ग्राम गढी गदाना थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 23

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण –

1. मोबाइल टावर की रेडियो रिसिवर यूनिट-06
2. मोबाइल टावर बी0बी0यू0 (बेस बैन्ड यूनिट) - 15
3. वायर कटर – 02
4. प्लास- 02
5. शिकंजा लोहा – 01
6. पाना – 01
7.घटना करने प्रयुक्त 01 थार रॉक्स गाडी रंग काला

आपराधिक इतिहास

1. अभियुक्त अफसर

(i) मु.अ.सं. 369/25 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/3(5) बीएनएस थाना सिहानी गेट कमि.गाजियाबाद

2. अभियुक्त राहुल

(i) मु0अ0सं0 406/24 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद।

(ii) मु.अ.सं. 369/25 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/3(5) बीएनएस थाना सिहानी गेट कमि.गाजियाबाद

3. अभियुक्त आमिर

(i) मु0अ0सं0 44/23 धारा 147/148/149/302/307/323/34/504 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

(ii) मु.अ.सं. 369/25 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/3(5) बीएनएस थाना सिहानी गेट कमि.गाजियाबाद।

4. अभियुक्त फैसल

(i) मु.अ.सं. 369/25 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/3(5) बीएनएस थाना सिहानी गेट कमि.गाजियाबाद

5. अभियुक्त दीपांशू

(i) मु.अ.सं. 369/25 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/3(5) बीएनएस थाना सिहानी गेट कमि.गाजियाबाद

6. अभियुक्त नाजिम

(i) मु.अ.सं. 369/25 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/3(5) बीएनएस थाना सिहानी गेट कमि.गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

स्वाट टीम क्राइम ब्रांच द्वारा .APK फाईल डाउनलोड कराकर साईबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश गैंग के 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,कुल 8 करोड़ की ठगी व एनसीआरबी पोर्टल पर दर्ज 34 शिकायतो का अनावरण करते हुए कब्जे से 04 मोबाईल फोन व 50000 रूपये नकदी बरामद ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में साईबर अपराधो की रोकथाम हेतु अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के नेतृत्व में स्वाट टीम, अपराध शाखा द्वारा दिनाँक 31/10/2025 को स्वाट टीम क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा .APK फाईल डाउनलोड

कराकर व गैमिग व स्टाक मार्किट निवेश के नाम पर रुपयो की साईबर ठगी करने वाले 04 शातिर अपराधी को थाना कोतवाली क्षेत्र के महादेव होटल बजरिया के पास से व ARENA FITNESS GYM से दिनांक 01/11/25 की रात्रि 02.35 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से साईबर फ्राड करने मे प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन व 50000 रुपये नकदी बरामद हुई है व थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ मिलकर थाना साईबर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर पकडे गये अभियुक्तगणो द्वारा बताया कि हम व हमारे अन्य साथी पूरे भारतवर्ष मे .APK फाइल एप के माध्यम से बडे फर्जी खाता धारको के साथ गैमिग,स्टाक मार्किट निवेश के नाम पर करोडो रुपयो की ठगी करते है हाल ही मे अभियुक्त भास्कर जो ARENA FITNESS GYM का संचालक है जिसके द्वारा अपने एसबीआई बैंकखाता मे लगभग 15 दिनो के अंदर लगभग 8 करोड रुपये की साइबर फ्राड की धनराशि अपने साथी रोनी उर्फ अमन व तरुण चौधरी व गौरव मिश्रा आदि के साथ मिलकर भारतवर्ष मे .APK एप फाईल को जनता के व्यक्तियो के मोबाईल फोन व सिस्टम के अंदर डाउनलोड कराकर साइबर फ्राड की घटनाओ को अंजाम दिया है तथा साइबर के एनसीआरबी पोर्टल पर चैक करने पर 34 शिकायते दर्ज पायी गयी जिसमे आन्ध्र प्रदेश की 02, गोवा की 02, केरल की 01, पंजाब की 01, दिल्ली की 01, राजस्थान की 03, तमिलनाडू की 04, उ.प्र. की 02, पश्चिम बंगाल की 03, झारखंड की 01, मध्य प्रदेश की 01, बिहार की 01, कर्नाटका की 03, तेलांगना की 01, महाराष्ट्र की 03, उडीसा की 01, हरियाणा की 04, शिकायते दर्ज पायी गयी है।
तथा पूछताछ मे यह भी जानकारी मिली है कि साइबर फ्राड का रुपये को यूएसडीटी डालर मे बदलकर हवाला के माध्यम से अपने साथियो मे आपस मे बाँट लेते है। अन्य फरार अभियुक्तगणो के सम्बन्ध मे भी जाँच पडताल की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. भास्कर उपाध्याय पुत्र सुरेन्द्र उपाध्याय निवासी मकान नंबर प्रकाश विहार निकट शिव मंदिर 65,लाल कुआं थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 27
2. मोहसीन अहमद पुत्र मुख्तयार अहमद निवासी 15/12एएफ बंजरग बली मौहल्ला मौजपुर थाना जाफराबाद दिल्ली उम्र करीब वर्ष 23
3. गौरव मिश्रा पुत्र स्व 2- भंगेल थाना फेज 106 रंजीत कुमार निवासी एमकेएम अपार्टमेंट सैक्टर 0नोएडा उम्र करीब वर्ष 23
4. उस्मान अहमद पुत्र बब्बू निवासी मौहल्ला गैर दरिया खान नगर पालिका के पीछे थाना कोतवाली नगर जनपद रामपुर उम्र करीब वर्ष 23

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1. विभिन्न कंपनियो के मोबाईल फोन - 04 अदद
2. 50000 रुपये नकद

आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त भास्कर उपाध्याय

1.मु.अ.सं. 230/25 धारा 318(4)/3(5) बीएनएस व 66डी आईटीएक्ट थाना साईबर क्राइम कमि.गाजियाबाद

2. अभियुक्त मोहसीन

1. मु.अ.सं. 230/25 धारा 318(4)/3(5) बीएनएस व 66डी आईटीएक्ट थाना साईबर क्राइम कमि.गाजियाबाद। **3. अभियुक्त गौरव मिश्रा**

1. मु.अ.सं. 230/25 धारा 318(4)/3(5) बीएनएस व 66डी आईटीएक्ट थाना साईबर क्राइम कमि.गाजियाबाद

4. अभियुक्त उस्मान अहमद

1. मु.अ.सं. 230/25 धारा 318(4)/3(5) बीएनएस व 66डी आईटीएक्ट थाना साईबर क्राइम कमि.गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 05 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया, कब्जे/निशादेही से चोरी की गयी 05 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 31.10.2025 को वादी श्री अमित पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम रोरी मोदीनगर जिला गाजियाबाद द्वारा थाना मोदीनगर पर एक तहरीर दी कि अज्ञात द्वारा वादी की मोटरसाइकिल को चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 01.11.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त आशीष उर्फ अंश पुत्र मनोज निवासी न्यू मानवतापुरी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया व 05 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है जिनके कब्जे/निशादेही से वादी की चोरी की गयी मोटरसाइकिल व थाना मुरादनगर गंग नहर के पास से चोरी की गयी एक अन्य मोटरसाइकिल समेत कुल 05 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त व बाल अपचारियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोगों का एक ग्रुप है, हम लोग पुरानी मोटरसाइकिलों की रेकी कर चोरी कर लेते हैं और उन्हें छिपाकर रख देते हैं ताकि पैसों की जरूरत आने पर उन्हें बेच सके, हम लोग चोरी की गई मोटरसाइकिल को छिपाने जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया, चोरी की गयी मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि हमने एक मोटरसाइकिल करीब 1.5 वर्ष पहले गंगनहर मुरादनगर से चोरी की थी तथा एक अन्य मोटरसाइकिल हमने दिनांक 31.10.2025 को मोदीनगर विशाल मेगा मार्ट वाली गली के बगल से चोरी की थी। एक अन्य मोटरसाइकिल हमने सारा

रोड गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर से चोरी की थी व एक अन्य मोटरसाइकिल हमने करीब 02 माह पहले महर्षि स्कूल ग्राउंड मोदीनगर से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आशीष उर्फ अंश पुत्र मनोज निवासी न्यू मानवतापुरी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष तथा 05 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

बरामदगी का विवरण –

चोरी की 05 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त आशीष व बाल अपचारियों के विरुद्ध थाना मोदीनगर व थाना मुरादनगर पर वाहन चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम –

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।